भारतीय कानून रिपोर्ट

अपीलीय सिविल

सी. जी. सूरी (नयायाधिपती) के सामने

दयाल सिंह, अपीलकर्ता,

बनाम

भजन कौर, प्रतिवादी।

1966 का एफ.ओ.ओ. क्रमांक 25-एम.

9 नवंबर 1971।

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV) - धारा 25 - पत्नी के कहने पर विवाह को रद्द करना - ऐसी पत्नी - चाहे वह स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण पाने की हकदार होगी?

निर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए। जहां किसी विवाह को पत्नी के कहने पर इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि विवाह के समय पति की पत्नी जीवित थी, तो विवाह निस्संदेह अवैध है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए पीड़ित महिला को पत्नी के रूप में माना जाएगा। अधिनियम की धारा 25 के तहत आवेदन करने का अधिकार है और वह इसके तहत स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण पाने की हकदार है।

(पैरा 1, 2, 4 और 6)

श्री निरपिंदर सिंह, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, मालेरकोटला, (1955 के अधिनियम संख्या 25 की धारा 13-बी के तहत जिला अदालत के रूप में सशक्त) के 1 दिसंबर 1965 के आदेश से पहली अपील, याचिका को स्वीकार करते हुए भजन कौर और प्रतिवादी (दयाल सिंह) को आज से जब तक वह अविवाहित रहेगी, उसे 25 रुपये प्रति माह पर गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता की ओर से राजिंदर कृष्ण अग्रवाल, वकील।

प्रतिवादी की ओर से संतोष कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता।

जजमेंट

सूरी, नयायाधिपती.-(1) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 5 के खंड (1) के साथ पठित धारा 11 के तहत पत्नी की याचिका पर पार्टियों के बीच विवाह को रद्द कर दिया गया था। इस आधार पर कि उक्त विवाह के समय पति की पत्नी जीवित थी, पीड़ित महिला (इस अपील में प्रतिवादी) ने अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव के लिए आवेदन किया। उन्हें न्यायालय द्वारा 25 प्रति माह रुपये का भरण-पोषण भत्ता दिया गया है। अपमानजनक या आहत पुरुष इस न्यायालय में अपील करने आया है।

(2) रखरखाव भत्ते की दर या मात्रा के संबंध में कोई विवाद नहीं है और इन दिनों प्रचलित उच्च कीमतों को देखते हुए, यह भत्ता शायद ही प्रतिवादी को भुखमरी के स्तर पर निर्वाह करने में सक्षम करेगा। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा की गई एकमात्र शिकायत यह है कि विवाह शुरू से ही पूरी तरह से अवैध था और प्रतिवादी ने कभी भी पत्नी का दर्जा हासिल नहीं किया था ताकि उसे अधिनियम की धारा 25 के तहत आवेदन करने का अधिकार दिया जा सके।

(3) नकली विवाह या दिखावटी समारोह के बाद दोनों पक्ष एक वर्ष से अधिक समय तक पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहे थे और सौभाग्य से विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। जब प्रतिवादी को पता चला कि अपीलकर्ता पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी जीवित है, तो उसने तुरंत शादी को रद्द करने के लिए आवेदन किया। मेरे सामने मौजूद सामग्री के आधार पर, यह कहना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता को उस दिखावटी समारोह या नकली विवाह के लिए प्रेरित करने से पहले प्रतिवादी से किसी भी धोखे या भौतिक तथ्यों को छिपाने के लिए कितना जिम्मेदार ठहराया गया था। भले ही यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता की जीवित पत्नी के बारे में पूरी जानकारी के साथ विवाह समारोह में भाग लिया था, यह स्पष्ट है कि उसका कौमार्य छीन लिया गया है और तथ्य यह है कि उसने तुरंत इस नकली विवाह को रद्द करने के लिए कहा था और यह कि उसे न्यायालय द्वारा राहत दी गई थी, यह सुझाव दे सकता है कि वह अधिनियम की धारा 23(1)(ए) के अर्थ के तहत अपनी गलती या विकलांगता का फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही थी।

4) अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री राजिंदर कृष्ण अग्रवाल का मुख्य तर्क यह है कि विवाह शुरू से ही शून्य है, पार्टियों ने की। अधिनियम की धारा 25(1) के अर्थ के भीतर कभी भी 'पत्नी' या 'पति' की कानूनी स्थिति हासिल नहीं और इसलिए, प्रतिवादी उस धारा के तहत स्थायी गुजारा भत्ता या रखरखाव के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। पहली नज़र में, यह तर्क बहुत आकर्षक लगता है और अपीलकर्ता के वकील द्वारा भरोसा किए गए कुछ फैसलों में इस खंड की वाक्यांशविज्ञान पर लगाई गई प्रतिबंधित व्याख्या को सही माना गया है। हालाँकि, बेहतर दृष्टिकोण जो अधिकांश उच्च न्यायालयों के पक्ष में प्रतीत हो सकता है, वह यह है कि अधिनियम को बहुत सावधानी से तैयार नहीं किया गया है और धारा 25 की भाषा को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए। भले ही विवाह वैधानिक रूप से शून्य था, फिर भी महिला को एक नकली विवाह से गुजरना पड़ा और झूठे बहाने से इस विश्वास के तहत अपना कौमार्य खोना पड़ा कि वह एक वैध रूप से विवाहित पत्नी थी। इस तरह एक साथ रहने या सहभोज से पैदा हुए बच्चों को अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के मद्देनजर कुछ उद्देश्यों के लिए वैध माना जाता है और उनके पास उस जोड़े के खिलाफ वैध दावे हैं जो उन्हें दुनिया में लाए थे जैसे कि यह जोड़ा उनका विधिपूर्वक विवाहित माता-पिता हो। । बच्चों के पास अपने माता-पिता के खिलाफ सभी वैध दावे हैं और माना जाता है कि नकली समारोह से विवाह हुआ था, जिसे अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय द्वारा दिए गए डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया है। धारा 11 और 12 वॉइड और वॉइडेबल विवाह के बीच अंतर करते हैं, लेकिन किसी भी मामले में अमान्यता की डिक्री विवाह की वैधता के बारे में गलत धारणा के तहत एक साथ रहने से पैदा हुए बच्चों को समान अधिकार प्रदान करती है। इसलिए, पार्टियों के बीच संबंध को कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए वैध विवाह के रूप में माना जाता है और हम पार्टियों को पति और पत्नी के रूप में वर्णित करके कल्पना का विस्तार कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 11 और 12 में 'विवाह' शब्द के प्रयोग का अर्थ यह होगा कि उस विवाह के पक्षों को पति और पत्नी के रूप में माना जा रहा है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील इस तथ्य पर तर्क देना चाहते थे कि 'पति' और 'पत्नी' शब्द को विवाह की शून्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 11 (वॉइड विवाह) और 12 (वॉइडेबल विवाह) में हटा दिया गया है। इन शब्दों का प्रयोग धारा 9 (दाम्पत्य अधिकारों की बहाली) और धारा 13 (तलाक) में किया गया है। इस तर्क में कुछ बल हो सकता था यदि यह तथ्य न होता कि धारा 10 में भी इन शब्दों के प्रयोग से सावधानीपूर्वक परहेज किया गया है, जब धारा न्यायिक पृथक्करण से संबंधित है जहां कोई विवाद नहीं है कि पक्षकार किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। विवाह जो सभी प्रकार से कानूनी रूप से वैध था। इसलिए, ऊपर उल्लिखित कुछ अनुभागों में इन शब्दों का उपयोग और कुछ अन्य अनुभागों में उनका लोप, अधिनियम के किसी भी बुद्धिमान प्रारूपण के बजाय लापरवाही का परिणाम प्रतीत हो सकता है।

(5) फिर मैं अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री राजिंदर कृष्ण अग्रवाल द्वारा उद्धृत दो फैसलों से निपट सकता हूं। ***ईश्वर सिंह बनाम श्रीमती हुकम कौर***[1] में पत्नी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन किया था। विपक्षी ने इस बात से इनकार किया था कि उसने आवेदक से शादी की है। साक्ष्य में यह सामने आया कि आवेदक पहले से ही शादीशुदा थी और उसका पहला पति जीवित था। यह दलील कि पहले पति ने आवेदक को आपसी सहमति से तलाक दे दिया था या वह पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र थी, अप्रमाणित रही। इन परिस्थितियों में, महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के तहत किसी भी भरण-पोषण की हकदार नहीं पाया गया। उस धारा के तहत, आवेदक को किसी भी राहत का हकदार होने से पहले विवाह को सख्ती से साबित करना होगा। इस फैसले के हेड-नोट (बी) में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का संदर्भ मुद्रक की शैतानी के कारण हुई एक गलती है और किसी को यह सुनिश्चित करने के लिए आधे पृष्ठ के छोटे फैसले को पढ़ना होगा कि यह खंड कभी न्यायालय का विचार के लिए सामने नहीं आया था। इसलिए, इस फैसले का वर्तमान मामले पर कोई असर नहीं है। दूसरा मामला जिस पर श्री आर.के. अग्रवाल ने भरोसा किया है वह ***ए.पी.के.नारायणस्वामी रेड्डीर बनाम पद्मनाभन और अन्य***[2] है। उनकी निर्भरता फैसले के कुछ हिस्सों पर है जिन्हें इन हिस्सों के आधार पर हेड-नोट्स में ओबिटर टिप्पणियाँ बताया गया है। इन टिप्पणियों को उनके वास्तविक संदर्भ में समझने के लिए, मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताना आवश्यक हो सकता है। अपीलकर्ता, एक अपमानजनक पुरुष, की पत्नी जीवित थी जब उसने उस मामले में प्रतिवादी संख्या 4 से विवाह किया था। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कुछ बच्चे उस विवाह से पैदा हुए थे और उन्हें भी पक्षकार बनाया गया था। यह याचिका पीड़ित महिला और उसके नाबालिग बच्चों द्वारा मद्रास हिंदू (द्विविवाह रोकथाम और तलाक) अधिनियम, 1949 की धारा 4(1) के तहत दायर की गई थी। डिवीजन बेंच का निर्णय उस के प्रावधानों की बहुत सख्त व्याख्या पर आगे बढ़ा। विशेष अधिनियम***. जल कौर बनाम पाला सिंह***[3]में हमारे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को ए.पी.के. नारायणस्वामी रेड्डीर के मामले में अनुकूल नहीं पाया गया था। । इस बारे में कुछ टिप्पणियाँ की गईं कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 या हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 का अर्थ कैसे लगाया जाए, भले ही यह महसूस किया गया कि निपटान के प्रयोजनों के लिए प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक नहीं था। उस अपील की जो उस समय माननीय न्यायाधीशों के समक्ष थी। इसलिए, इन टिप्पणियों को दो शीर्ष-टिप्पणियों में उचित टिप्पणियों के रूप में वर्णित किया गया है जो निर्णय के इस भाग पर आधारित हैं। प्रतिवादी के वकील का तर्क, कि यद्यपि एक

[1] A.I.R. 1965 All. 464
[2] A.I.R. 1966 Mad. 394.
[3] A.I.R. 1961 Pb. 391.

महिला वैध विवाह के संदर्भ में पूरी तरह से पत्नी नहीं हो स. कती है, फिर भी कुछ उद्देश्यों के लिए उसे इतना सम्मान दिया जा सकता है, हालांकि ***जल कौर के मामले (3)*** में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया गया था, इसे खारिज कर दिया गया था। एक अन्य फैसला जिसे ठुकरा दिया गया वह था ***मेहता गुणवंतराय मगनलाल बनाम बाई प्राहा केशवजी***[4] जिसमें न्यायालय की एकल पीठ का विचार था कि अधिनियम की धारा 25 सभी प्रकार की कार्यवाहियों पर लागू होती है, चाहे वे न्यायिक पृथक्करण के लिए कार्यवाही हों या वैवाहिक अधिकारों की बहाली या तलाक द्वारा विवाह के विघटन के लिए या विवाह को रद्द करने के लिए।

(6) इसके विपरीत, कई उच्च न्यायालयों का बहुमत दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि अधिनियम एक लापरवाही से तैयार किया गया कानून है और धारा 25 की भाषा को बहुत सख्त निर्माण नहीं मिलना चाहिए और पीड़ित महिला को इसमें शामिल होना चाहिए। विवाह रद्द करने के मामले को धारा 25 के तहत आवेदन करने के उद्देश्य से पत्नी के रूप में माना जाना चाहिए। ***आर्य कुमार बल बनाम श्रीमती इला बाल***[5] मे पीड़ित महिला को विवाह के विलोपन के लिए डिक्री पारित होने के समय स्थायी गुजारा भत्ता दिया गया था और कठिनाई, यदि कोई हो, काल्पनिक "प्रतिष्ठित पत्नी" के उपयोग से दूर हो गई थी। यह एक ऐसा मामला था जहां पति की नपुंसकता के आधार पर विवाह की शून्यता की डिक्री दी गई थी, जो कि अमान्य विवाह का मामला होगा, न कि वैधानिक रूप से शून्य/वॉइड विवाह। हालाँकि, यह देखा गया कि गुजारा भत्ता की प्रकृति में राहत वास्तव में एक राहत है जो डिक्री के पारित होने के लिए प्रासंगिक है और शून्यता के लिए डिक्री विवाह के विघटन के लिए डिक्री के समान स्तर पर है। इस मामले में किसी ने भी इस तथ्य का विरोध नहीं किया था कि पत्नी को अमान्यता के लिए डिक्री पारित होने के समय या उसके बाद स्थायी गुजारा भत्ता दिया जा सकता है और जो प्रश्न निर्णय के लिए आया था वह केवल यह था कि क्या पति की अपील के लंबित रहने के दौरान, अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण और मुकदमेबाजी का खर्च दिया जा सकता है। प्रश्न का निर्णय पत्नी के पक्ष में किया गया और उसे 500 रुपये गया। प्रति माह और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में इतनी ही राशि की दर से गुजारा भत्ता दिया गया।

(7) ***जल कौर के मामले (3) (सुप्रा)*** में, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच का विचार था कि हिंदू अदापशन और मेंटेनेंस अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए। किसी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय उसके अंतर्निहित सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखा जा सकता है। हिंदू कानून के हालिया संहिताकरण का मूल उद्देश्य हिंदू महिलाओं पर

[4] A.I.R. 1963 Gujrat 240
[5] A.I.R. 1966 Cal. 276.

रखी गई विकलांगताओं को दूर करना था और उन्हें भरण-पोषण और संपत्ति के बेहतर अधिकार प्रदान करना था। धारा 18(1) और 2(डी) पत्नी को अपने पति द्वारा भरण-पोषण का अधिकार देती है और इस भरण-पोषण का दावा वह तब भी कर सकती है, जब वह इस आधार पर अलग रह रही हो कि पति की एक और पत्नी जीवित है। ***मिनारानी मजूमदार बनाम दशरथ मजूमदार***[6] में, फैसला नयायाधिपती बाचावत द्वारा डिवीजन बेंच के लिए लिखा गया था। यह देखा गया कि धारा 25 के तहत तलाक या अशक्तता या न्यायिक अलगाव या दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित करने पर अपने पति से अलग रह रही विवाहित महिला के पक्ष में भरण-पोषण का आदेश पारित किया जा सकता । यह माना गया कि अधिनियम की धारा 25 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी भी न्यायालय की भरण-पोषण का आदेश पारित करने की शक्ति किसी भी डिक्री को पारित करने के समय या उसके बाद किसी भी समय उत्पन्न होती है। भले ही मामले का निपटारा इस सवाल के जवाब के आधार पर किया जा सकता था कि क्या धारा 13 के तहत तलाक के लिए पती की याचिका को खारिज करना अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर 'किसी डिक्री को पारित करना' है, लेकिन "जबकि अपीलकर्ता अविवाहित है" वाक्यांश की व्याख्या भी माननीय न्यायाधीशों द्वारा की गई थी। ***कड़िया हरिलाल पुरषोत्तम बनाम कड़िया लीलावती गोकलदास***[7] मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया था। अंतिम उल्लिखित फैसले में, इसे इस प्रकार देखा गया:

"यद्यपि न्यायालय हमेशा किसी क़ानून में शब्दों को प्रतिस्थापित करने या इसमें शब्द जोड़ने के प्रति बेहद अनिच्छुक रहे हैं, लेकिन वे ऐसा वहां करेंगे जहां अच्छी समझ के प्रति प्रतिकूलता होगी। धारा 25 को अधिनियमित करने में विधायिका का इरादा अत्यंत सीमित वर्ग के मामलों में स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण देने में न्यायालय की शक्तियों को प्रतिबंधित करना नहीं था, अर्थात् जहां न्यायालय ने तलाक या विवाह की शून्यता के लिए डिक्री पारित की थी। धारा में प्रयुक्त शब्द 'किसी भी डिक्री को पारित करने के समय' हैं। इस शक्ति का प्रयोग अधिनियम के पहले प्रावधानों में निर्दिष्ट किसी भी डिक्री के पारित होने के समय या उसके बाद किसी भी समय किया जाना था।"

(8) माननीय न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 25 में "जबकि आवेदक विवाहित रहता है" शब्दों की व्याख्या पर सवाल उठाया। इंग्लैंड में तलाक और न्यायिक अलगाव (ए मेन्सा एट थोरो) के कानून के ऐतिहासिक विकास पर विचार करने के बाद, अंग्रेजी कानून के तहत इस्तेमाल की जाने वाली अभिव्यक्ति "स्थायी गुजारा भत्ता" के अर्थ का अंग्रेजी केस कानून के संदर्भ में अध्ययन किया

[6] A.I.R. 1963 Cal. 428.
[7] A.I.R. 1961 Gujrat 202

गया था। अधिनियम की धारा 25 के प्रारूपण में नियोजित देखभाल की डिग्री के संबंध में माननीय न्यायाधीशों की निम्नलिखित टिप्पणियों को लाभ के साथ पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है: -

"हमारे विचार में, धारा 25 को अधिनियमित करते समय विधायिका का इरादा न्यायिक अलगाव, तलाक और विवाह की शून्यता की कार्यवाही के संबंध में स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव से संबंधित सामान्य प्रावधानों को सीमित करने का नहीं था, बल्कि इसका विस्तार करने और प्रावधान करने का था। यह पत्नी और पति दोनों के पक्ष में लागू होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, विधायिका द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द 'जबकि आवेदक अविवाहित है' श्री नानावटी द्वारा किए जाने वाले निर्माण का सुझाव देते हैं। हालाँकि, हमें विधायिका की सर्वोपरि मंशा पर विचार करना होगा। मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, पृष्ठ 229 पर इसे इस प्रकार देखा गया है:

'जहां किसी क़ानून की भाषा, उसके सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, अधिनियमन के स्पष्ट उद्देश्य के स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन, कठिनाई या अन्याय की ओर ले जाती है, संभवतः इरादा नहीं है, एक धोखाधड़ी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है। ऐसा व्याकरण के नियमों से हटकर, विशेष शब्दों को असामान्य अर्थ देकर, उनके संयोजन में परिवर्तन करके, या प्रभाव में उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार करके किया जा सकता है; इसमें कोई संदेह नहीं है, यह एक अटल विश्वास है कि विधायिका संभवतः वह इरादा नहीं कर सकती जो उसके शब्द दर्शाते हैं, और इस प्रकार किए गए संशोधन केवल लापरवाह भाषा के सुधार हैं और वास्तव में सही अर्थ देते हैं। जहां किसी क़ानून का मुख्य उद्देश्य और इरादा स्पष्ट है, उसे मसौदा तैयार करने वाले की अकुशलता या कानून की अज्ञानता के कारण, आवश्यकता के मामले को छोड़कर, या इस्तेमाल की गई भाषा की पूर्ण दुरूहता के कारण शून्य नहीं किया जाना चाहिए।'

“अदालतें हमेशा किसी क़ानून में शब्दों को प्रतिस्थापित करने या उसमें शब्द जोड़ने के प्रति बेहद अनिच्छुक रही हैं। एक अदालत ऐसा वहां करेगी जहां अच्छी समझ के प्रति प्रतिकूलता हो। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 को कला का एक काम नहीं माना जा सकता। यह अच्छे आलेखन के लिए विख्यात नहीं है। इसमें कई प्रावधान शामिल हैं जो इसकी व्याख्या करते समय कठिनाइयाँ पेश करते हैं। कुछ अनुभागों में प्रयुक्त शब्द सुखद नहीं हैं और विधायिका का सही अर्थ जुटाने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। हालाँकि एक बात स्पष्ट है कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य और इरादा हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताबद्ध करना था। इसका इरादा बेहद सीमित वर्ग के मामलों में स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण देने में न्यायालय की शक्तियों को प्रतिबंधित करना नहीं था, अर्थात् जहां न्यायालय ने तलाक या विवाह की शून्यता का

डिक्री पारित किया था। धारा में प्रयुक्त शब्द 'किसी डिक्री को पारित करते समय' हैं। 'किसी भी डिक्री' शब्द का उपयोग नहीं किया गया होता यदि विधायिका का इरादा धारा के संचालन को केवल उन मामलों तक सीमित करना होता जहां तलाक या विवाह की शून्यता का डिक्री पारित किया गया था। इस शक्ति का प्रयोग अधिनियम के पहले प्रावधानों में निर्दिष्ट किसी भी डिक्री के पारित होने के समय या उसके बाद किसी भी समय किया जाना था।"

"यह धारा न्यायालय को एक पति या पत्नी के भरण-पोषण और समर्थन के लिए दूसरे द्वारा आदेश देने के मामले में व्यापक विवेक का अधिकार देती है, जहां वह वैवाहिक अधिकारों की बहाली, न्यायिक अलगाव, तलाक द्वारा विवाह के विघटन या विवाह को रद्द करने के लिए कोई भी डिक्री पारित करती है। इस आधार पर कि यह वॉइड या वॉइडेबल था।"

9) यह प्रश्न; कि क्या पत्नी, जो अपने पति द्वारा उसके विरुद्ध प्राप्त दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की डिक्री के साथ जाने से इंकार कर रही थी, अलग रखरखाव का दावा कर सकती है, इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के समक्ष ***श्रीमती राम पियारी बनाम श्री पियारा लाई पी.सी.एस.***[8] में आया, जिसमें मैं एक सदस्य था। ***सुरजीत कौर बनाम परगट सिंह***[9] में एकल पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, पत्नी के गुजारा भत्ते के अधिकार को पूर्ण पाया गया और यह माना गया कि यह आदेश देना न्यायालय का कर्तव्य है कि पति पत्नी को उसकी याचिका पर इतनी राशि जो मामले की परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है का भुगतान करेगा। यहां तक कि ***अमर कांता सेन बनाम सोवाना सेन और अन्य***[10] में एकल पीठ के फैसले के आधार पर एक दुष्ट पत्नी को भी अपने भरण-पोषण के लिए भूखा भत्ता पाने का पूर्ण अधिकार पाया गया और इस अधिकार को वहां भी लागू करने योग्य घोषित किया गया जहां पत्नी को व्यभिचार के आधार पर तलाक दे दिया गया था। इस प्रावधान का उद्देश्य पत्नी की भुखमरी को रोकना है, लेकिन जहां पत्नी की अपनी आय है, वहां निर्वाह का यह अधिकार गायब हो जाएगा। ***डॉ. होर्मुसजी एम. कालापेसी बनाम दीनबाई एच. कालापेसी***[11] के मामले में एक डिवीजन बेंच ने इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था, जो पारसी विवाह और तलाक अधिनियम का मामला था। यह देखा गया कि अदालतों में डिफॉल्टर या दोषी पत्नियों के मामले में भी गुजारा भत्ता के आवेदनों पर विचार करने की लगातार प्रथा रही है। जहाँ तक न्यायाधीशों को जानकारी थी, गुजारा भत्ता के लिए आवेदन को प्रारंभिक आधार पर कभी खारिज नहीं किया गया था कि याचिका दोषी पत्नी द्वारा दायर की गई

[8] I.L.R. (1971) 1 Pb. & Hr. 555.
[9] I.L.R. (1964) 2 Pb. 100.
[10] A.I.R. 1960 Cal. 438.
[11] A.I.R. 1955 Bom. 413.

थी। अंग्रेजी केस कानून पर चर्चा की गई और यह पाया गया कि इसका इरादा कभी नहीं था कि एक दोषी पत्नी को भूखा मरने के लिए सड़कों पर लाया जाए। हिंदू कानून ने एक उपपत्नी के अपने स्वामी द्वारा भरण-पोषण के अधिकार को भी मान्यता दी। इस संबंध में, मुल्ला के हिंदू कानून, 13वें संस्करण (1966) के पृष्ठ 543-44 पर अनुच्छेद 553 का संदर्भ दिया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, एक दबंग पुरुष के हाथों पीड़ित प्रतिवादी को ऐसी दर पर स्थायी गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता है जो इस मामले में केवल उसकी भुखमरी को बढ़ाने में मदद करेगा। हालाँकि, उसने कम दर की शिकायत करते हुए कोई क्रॉस अपील या आपत्ति दर्ज नहीं की है। ***फिशर बनाम फिशर***[12] पृष्ठ 1055 में, यह देखा गया कि विधान का इरादा यह नहीं था कि विवाह विच्छेद की हकदार पत्नी निराश्रित होने की कीमत पर डिक्री खरीद ले। जहां पति की परिस्थितियां या वित्तीय स्थिति इसकी अनुमति देती है, अदालतें महिला को तब तक गुजारा भत्ता देने का निर्देश देंगी जब तक वह पवित्र और अविवाहित है।

(10) तदनुसार अपील लागत सहित खारिज की जाती है।

<u>अस्वीकरण :</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा

[12] 164 English Reports (2 Sw. & Tr. 410).